फर्द अहकाम

रामनारायण बनाम सरकार

न्यायालय

संख्या 138/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	5/6/2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 131,136 का पेश किया वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय मुताबिक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजि० से कम होवे बाद तामील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:54:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : ..138/2024
निर्णय दिनांक : 05.06.2024

1. रामनारायण पुत्र श्री बालूराम जाति जाट निवासी ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पूर्व नक्शाट्रेस के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में आराजी कृषि भूमि हाल खाता सख्या 281 के हाल खसरा न० 1 रकबा 0.66 है०, खसरा न० 2 रकबा 0.57 है०, खसरा न० 3 रकबा 0.55 है०, खसरा न० 73 रकबा 0.88 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.66 है० व हाल खाता सख्या 280 के खसरा न0 72 रकबा 0.0050 है० व हाल खाता सख्या 188 के खसरा न0 72/1 रकबा 0.0050 है० स्थित है। प्राथी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 0.88 है० की तरमील सिरिकेशन के दौरान गलत हो गयी जिससे खसरा नम्बर 73 का हाल नक्शा ट्रेस मे रकबा कम हो गया तथा खसरा नम्बर 73/1 का नक्शाट्रेस मे रकबा अधिक हो गया है। जो कि गलत है। जिसे पूर्व नक्शा ट्रेस जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है को दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्कय है। हाल खसरा न0 72 रकबा 0.01 है० किश्म गैर मुमकिन चाह का सिरीकेशन के समय उसके दो खसरा नम्बर 72 रकबा 0.0050 है० व खसरा न० 12/1 रकबा 0.0050 है० बना दिये जो कि गलत है। पूर्व जमाबन्दी व नक्शाट्रेस के अनुसार दुरूस्त कर खसरा न0 72 रकबा 0.01 है० दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। नक्शाट्रेस व जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है।

प्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती करने बाबत [illegible] तहसीलदार सांगानेर के यहां पर प्रार्थना पत्र पेश किया [illegible] अप्रार्थी तहसीलदार सांगानेर ने प्रार्थी को कहा कि उक्त दुरूस्ती करवाने के लिए आपको सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:54:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

प्रस्तुत करना पडेगां। इस कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित हाल खसरा न0 73 रकबा 0 88 है0 व 73/1 रकबा 0.50 है० का पूर्व नक्शाट्रेस के अनुसार हाल नक्शाट्रेस दुरूस्त किया जावे तथा इसी प्रकार हाल खसरा न0 72 व 72/1 के स्थान पर जमाबन्दी व नक्शाट्रेस में खसरा न0 72 रकबा 0.01 है० पूर्व जमाबन्दी व नक्शाट्रेस के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी की पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित हाल खसरा न0 73 रकबा 0 88 है0 व 73/1 रकबा 0.50 है० का पूर्व नक्शाट्रेस के अनुसार हाल नक्शाट्रेस दुरूस्त किया जावे तथा इसी प्रकार हाल खसरा न0 72 व 72/1 के स्थान पर जमाबन्दी व नक्शाट्रेस में खसरा न0 72 रकबा 0.01 है० पूर्व जमाबन्दी व नक्शाट्रेस के अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:54:30 IST
Reason: SelfAttested